लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी, (राजस्व)
(जिला कलक्टर) चित्तौड़गढ़
पीठासीन अधिकारी **इन्द्रजीत सिंह,** आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या/36/2018 (सू.अ.)
पंजीयन दिनांकः– 20.04.2018

श्री श्यामलाल टेलर पिता श्री रामचन्द्र टेलर निवासी भादसोड़ा

बनाम

लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम–2005

निर्णय

दिनांक **14.05.2018**

सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 के तहत अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ के यहां सूचना चाहने हेतु एक आवेदन क्रमांक 1311 दिनांक 09.03.2018 को रजिस्टर्ड ए. डी. से प्रस्तुत किया। प्रस्तुत आवेदन पर 30 दिवस की अवधि में भी अपीलार्थी को उसके द्वारा वांछित सूचना उपलब्ध नहीं कराने से अपीलार्थी द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गई।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर इस न्यायालय के पत्रांक प्र.सं. सूचना का अधिकार 36/2018/(14.05)/325 दिनांक 20.04.2018 से लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ को दिनांक 14.05.2018 से पूर्व कमेंट्स प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित करते हुए, अपीलार्थी को भी समसंख्यक पत्रांक (रजिस्टर्ड) से नियत दिनांक 14.05.2018 को अपना पक्ष रखने हेतु उपस्थित होने के लिये लिखा गया।

अपीलार्थी ने पत्रांक 1360 दिनांक 04.05.2018 (कार्यालय में प्राप्ति दिनांक 14.05.18) से दिनांक 14.05.2018 को ग्राम पंचायत नपानिया में लोक अदालत शिविर में भाग लेने के कारण उपस्थित नहीं हो सकने का निवेदन किया। लोक सूचना अधिकारी (राजस्व)

एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ ने उक्त प्रकरण में आदिनांक तक कमेन्ट्स प्रस्तुत नहीं किए।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन दिनांक 09.03.2018 से पुलिस थाना भादसोडा द्वारा तहसीलदार भदेसर के यहां इस्तगासा प्रकरण संख्या 59/2017 धारा 107, 116 दिनांक 16.09.17 को प्रस्तुत किया उससे संबंधित सूचनाऐं तथा अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र क्रमांक 1269 दिनांक 3.11.17, 1235-37 दिनांक 19.08.17, 1253-55 दिनांक 12.09.17, 1258 दिनांक 11.10.17, 1279-80 दिनांक 19.12.17 एवं 1289 दिनांक 06.01.18 को प्रस्तुत किए उसकी सूचना/प्रमाणित प्रतिलिपियां चाही गई, जो उसे उपलब्ध नहीं कराना खेदजनक है। ऐसी स्थिति में अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ को अपीलार्थी को 15 दिवस में वांछित सूचना निः शुल्क उपलब्ध कराने के निर्देश दिये जाते हैं।

(इन्द्रजीत सिंह)
आई.ए.एस.
लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी
जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ (राज.)

क्र./सरिश्ता/प्र.सं./36/2018(सू.अ.)/ दिनांकः- / /2018

प्रतिलिपिः-

1. लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़
2. श्री श्यामलाल पिता श्री रामचन्द्र टेलर निवासी सदर बाजार, मु. पो. भादसोड़ा, तहसील भदेसर

लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी
जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ (राज.)